

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/5832

धमतरी, दिनांक: 21/11/2024

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी

विषय :-

Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evan Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in Favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Raod i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of raod is proposed under the Forest land Diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarg- reg.

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

संदर्भ :-1.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध /115-921/2097 दिनांक 23.08.2024

2.

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/4652 दिनांक 29.08.2024 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/5366 दिनांक 24.10.2024

3.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध /115-921/2308 दिनांक 19.09.2024

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य रकबा 37.973 हे. वन व्यपवर्तन प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उप कार्यालय नवा रायपुर के पत्र दिनांक 16.08.2024 को संलग्न कर भारत सरकार द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है:-

- Non forest area in equivalent extent or suitable revenue forest area in double the extent of forest area proposed for diversion along with site specific CA scheme, kml, site suitability certificate etc,
- Site suitable conservation plan for rare and endangered species of flora and fauna duly approved by the CWLW;

उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर जानकारी प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपको लेख किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. के संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि दुर्ग वनमंडल अंतर्गत उपलब्ध होने के संबंध अवगत कराते हुए, क्षेत्र चयन करने हेतु लेख किया गया है।

अतः बिन्दु क्रमांक 1 की पूर्ति हेतु वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल से समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण हेतु दुर्ग वनमंडल में उपलब्ध क्षेत्र का डी.जी.पी.एस सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करें। साथ ही बिन्दु क्रमांक 2 की पूर्ति हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्थल उपयुक्त योजना तैयार करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए जानकारी अविलंब इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। ताकि वांछित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:- संदर्भित पत्र 3 की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/5433

धमतरी, दिनांक: 21/11/2024

प्रतिलिपि:— 1. कलेक्टर, जिला-धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल दुर्ग की ओर संदर्भित पत्र 3 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. संयुक्त वनमंडलाधिकारी, उपवनमंडल धमतरी/बिरगुडी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर सिंगपुर/केरेगांव/दक्षिण सिंगपुर/दुगली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 2 की पूर्ति के संबंध में वनस्पति एवं वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार करने हेतु आवेदक संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी